प्रेषक

संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र –2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार ,नई दिल्ली ।

पत्रांकःमा0–1/ 3148 - 3154 /2010–2011 दिनांकः 27-12-2010

विषयः– जयदीप पब्लिक स्कूल ,हरसिंहपुर ,तिलठी मीरजापुर को सी0 बी0 एस0 ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है,कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या :1916/15–7–09–1(299) /2007 दिनांकः14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण –पत्र राज्य सरकार के स्थान पर संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उ0प्र0 शासन के उक्त आदेश के अनुसार जनपद मीरजापुर में स्थित संस्था , जयदीप पब्लिक स्कूल ,हरसिंहपुर ,तिलठी मीरजापुर के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया । विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली में सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण –पत्र दिये जाने में समिति को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जाय ।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति /जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद /बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली /कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है जो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें ।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन /परिवर्द्वन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है,अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है,तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय

(उपेन्द्र कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर

पृ0सं0:मा0–1/ /2010–2011 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव माध्यमिक शिक्षा ,उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3. आयुक्त ,विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक मीरजापुर ।
5. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्धक, जयदीप पब्लिक स्कूल ,हरसिंहपुर ,तिलठी मीरजापुर।
7. गार्ड फाईल ।

(उपेन्द्र कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर